HRA Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 524]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 19, 2010/फाल्गुन 28, 1931 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 19, 2010/PHALGUNA 28, 1931

No. 524]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय आदेश

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2010

का.आ. 618(अ),—केन्द्रीय सरकार, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश, 2000 के खंड 13 के उप-खंड (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों के अनुसरण में पिक्लिक सेक्टर की तेल विपणन कंपनियों अर्थात् मैसर्स इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मैसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के विक्रय अधिकारियों की रैंक से अन्यून के अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से खंड 13 के उक्त उप-खंड (1) के अधीन प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. पी-17011/3/2009-विपणन] अपूर्व चंद्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS ORDER

New Delhi, the 19th March, 2010

S.O. 618(E).—In pursuance of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 13 of the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000, the Central Government hereby authorises the officers, not below the rank of Sales Officer, of Public Sector Oil Marketing Companies, namely, M/s. Indian Oil Corporation Limited, M/s. Bharat Petroleum Corporation Limited and M/s. Hindustan Petroleum Corporation Limited, to exercise the powers conferred under the said sub-clause (1) of clause 13, with immediate effect.

[F. No. P-17011/3/2009-Mkt.] APURVA CHANDRA, Jt. Secy.